



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2005/आषाढ 10, 1927

No. 292]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2005/ASADHA 10, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 436(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई, 2005 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध-प्रवृत्त होंगे।

[अधिसूचना सं. 1/2005/का. सं. 6/2/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2005.

G.S.R. 436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2005, as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[Notification No. 1/2005/F.No. 6/2/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.